

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 62

दिनांक- 11.04.2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांकित 08.04.2025 द्वारा न्यायिक अधिकारी का स्थानान्तरण/पद परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 935/ 2022/Admin. 'G' दिनांकित: इलाहाबाद 08.12.2022 एवं अधिसूचना सं०-63/2008/ एडमिन(जी) दिनांकित- मई 23, 2008 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 एवं 19 सहपठित इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज हेतु अपीलीय प्राधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के सम्बन्ध में पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेश संख्या- 223 दिनांकित: 19.11.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा:-

1- अपीलीय प्राधिकारी-

श्री रामेश्वर,

जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

2- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी-

श्री शक्ति पुत्र तोमर,

वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।

3- केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी-

श्री खान जीशान मसूद,

सिविल जज (सी०डि०), कासगंज।

नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय कासगंज को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त सूचना जनपद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना मय मोबाइल नम्बर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उ०प्र० राज्य सूचना आयोग, लखनऊ को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित सूचित हों।

(रामेश्वर)

जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।